

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 30-09-2025

विषय सूची

- » वासेनार अरेंजमेंट: निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता
- » "कृषि क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है
- » खेल एक एकीकृत शक्ति है, विशेषाधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- » भारत के पारंपरिक अनुष्ठान रंगमंच
- » राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा 'भारत में अपराध 2023' रिपोर्ट जारी
- » ई-अपशिष्ट संग्रहण में खामियाँ बनी हुई हैं, जबकि सरकार की नजर अब कीमती धातुओं के पुनर्चक्रण पर है।

संक्षिप्त समाचार

- » स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ) पहल
- » सहयोग पोर्टल
- » अद्यतन रंगराजन गरीबी रेखा अनुमान
- » Ways and Means Advances (WMA)
- » सोडार(SODAR) प्रणाली
- » लाल सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस)

वासेनार अरेंजमेंट: निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

- आधुनिक इंटरनेट संरचना कुछ कंपनियों के प्रभुत्व में है, जो सरकारों के लिए अत्यधिक आवश्यक होती जा रही हैं। इनके बुनियादी ढांचे के दुरुपयोग ने निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर किया है, जो मूल रूप से भौतिक वस्तुओं के लिए बनाई गई थीं।

निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं क्या हैं?

- ये अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं जिनमें देश संवेदनशील वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं।
- उद्देश्य:** इनका दुरुपयोग रोकना, जैसे सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं न्यूक्लियर

- सप्लायर्स ग्रुप:** 1974 में गठित, यह व्यवस्था परमाणु प्रसार को रोकने के लिए उन सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करती है जिनसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया ग्रुप:** 1985 में स्थापित, इसका कारण ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान इराक द्वारा रासायनिक हथियारों का उपयोग था।
 - ऑस्ट्रेलिया ने रासायनिक हथियारों के पूर्ववर्ती रसायनों पर अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण के सामंजस्य की सिफारिश की।
- मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम:** 1987 में स्थापित, इसका उद्देश्य ऐसे मिसाइलों और मानव रहित वाहनों के प्रसार को सीमित करना है जो सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जा सकते हैं।
 - भारत 2016 में MTCR में सम्मिलित हुआ।

वासेनार अरेंजमेंट

- WA औपचारिक रूप से 1996 में स्थापित हुई, इसका उद्देश्य “पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं व तकनीकों के हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं अधिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना” है।

- स्वरूप:** पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों के लिए बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था।
- तंत्र:** सहभागी देश नियंत्रण सूची और सूचना विनिमय के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि राष्ट्रीय विवेकाधिकार बनाए रखते हैं।
- 2013 विस्तार:** सुरक्षा भंग करने वाले सॉफ्टवेयर और साइबर-निगरानी प्रणालियों पर नियंत्रण जोड़ा गया।
- सीमाएं:** यह भौतिक वस्तुओं (चिप्स, उपकरण) के लिए डिज़ाइन की गई थी, न कि क्लाउड और ऑनलाइन सेवाओं के लिए।
- भारत 2017 में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ।

क्लाउड युग की समस्याएं

- निर्यात की पुरानी परिभाषा पुरानी:** पहले इसका तात्पर्य वस्तुओं को भेजना या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था।
 - अब सेवाएं क्लाउड पर चलती हैं और उपयोगकर्ता केवल दूरस्थ रूप से कार्यों का उपयोग करते हैं; ये WA के अंतर्गत नहीं आतीं।
- स्वैच्छिक नियम:** कोई भी देश परिवर्तन को रोक सकता है।
- राष्ट्रीय कानून अलग-अलग हैं,** जिससे नियमों में असंगति और छिद्र होते हैं।
- केन्द्रित क्षेत्र:** ध्यान हथियारों पर रहा है, न कि निगरानी और दमन के लिए तकनीक के दुरुपयोग पर।

आवश्यक सुधार

- दायरा बढ़ाएं:** वासेनार अरेंजमेंट को वर्तमान समय में उपयोगी बनाने के लिए इसे क्षेत्रीय बायोमेट्रिक सिस्टम या सीमा-पार पुलिसिंग डेटा जैसी तकनीकों को शामिल करना चाहिए।
 - इनका सही नियंत्रण करने के लिए, नियमों को तकनीक की शक्ति पर सीमाएं तय करनी चाहिए और सुरक्षित, वैध उपयोग को सख्त लाइसेंस एवं सुरक्षा उपायों के अंतर्गत अनुमति देनी चाहिए।

- **निर्यात की परिभाषा अपडेट करने की आवश्यकता:** यदि दूरस्थ पहुंच और प्रशासनिक अधिकार नियंत्रित तकनीक के उपयोग की अनुमति देते हैं, तो उन्हें निर्यात माना जाना चाहिए।
 - ✦ पारंपरिक नियंत्रणों (जो हथियारों पर केंद्रित हैं) के विपरीत, क्लाउड और निगरानी तकनीक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए दुरुपयोग की जा सकती है।
 - ✦ इसलिए, किसी तकनीक के उपयोग के लिए लाइसेंस में यह देखा जाना चाहिए: तकनीक क्या कर सकती है, कौन इसका उपयोग कर रहा है, कहाँ, किस नियम के अंतर्गत, और कितना जोखिम है।
- **व्यवस्था को बाध्यकारी बनाएं:** वासेनार अरेंजमेंट की स्वैच्छिक प्रकृति उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में कमजोरी है।
 - ✦ इसके बजाय, देशों को एक बाध्यकारी संधि या ढांचा अपनाना चाहिए जिसमें अनिवार्य न्यूनतम लाइसेंसिंग मानक, अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों में निर्यात अस्वीकृति, और सहकर्मी समीक्षा द्वारा निगरानी शामिल हो।
- **सहयोग बढ़ाएं:** राष्ट्रीय प्राधिकरणों को जानकारी साझा करनी चाहिए, लाइसेंसिंग को सहेखित करना चाहिए, साझा वॉचलिस्ट बनाए रखनी चाहिए, और रीयल-टाइम रेड अलर्ट जारी करने चाहिए।
- **चपलता और डोमेन-विशिष्ट व्यवस्थाएँ:** क्लाउड और AI तकनीकें बहुत तीव्रता से बदलती हैं, इसलिए वासेनार अरेंजमेंट को भी तीव्रता से अनुकूल होना चाहिए।
 - ✦ यह एक विशेष तकनीकी समिति बनाकर किया जा सकता है जो त्वरित अपडेट सुझा सके, महत्वपूर्ण नियंत्रणों को तीव्र कर सके, और विशेषज्ञों से परामर्श ले सके।
 - ✦ संभवतः AI, डिजिटल निगरानी, साइबर हथियारों के लिए अलग व्यवस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं।

आगे की राह

- कुछ शक्तिशाली देश क्लाउड निर्यात नियमों को सख्त करने का विरोध कर सकते हैं, यह कहते हुए कि इससे नवाचार, संप्रभुता या निजी व्यवसाय को हानि होती है।
- क्लाउड प्रणालियों को वर्गीकृत करना, सीमा निर्धारित करना, सुरक्षित बनाम जोखिमपूर्ण उपयोगों को अलग करना तथा सीमा-पार लाइसेंसिंग का प्रबंधन करना भी जटिल है।
- कुछ EU देश पहले ही उन्नत तकनीकों के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियम जोड़ रहे हैं जिन्हें वासेनार अरेंजमेंट पूरी तरह से कवर नहीं करता।
 - ✦ उदाहरण के लिए, EU अब क्लाउड सेवाओं को अपनी नियमों में दोहरे उपयोग वाली तकनीक की तरह मानता है।
- वासेनार अरेंजमेंट अभी भी महत्वपूर्ण है लेकिन पुराना हो चुका है। जब तक इसे क्लाउड, SaaS और AI के लिए अपडेट नहीं किया जाता, यह आधुनिक तकनीकों के निगरानी और मानवाधिकार उल्लंघनों के दुरुपयोग को रोक नहीं सकता।

Source: TH

“कृषि क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है


संदर्भ

- महिला-नेतृत्व वाला विकास भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक संरचनात्मक परिवर्तनकारी के रूप में पहचाना गया है, फिर भी इसकी पूरी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है।

वर्तमान परिदृश्य

- **कृषि:** यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और महिलाओं का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है।
- **कार्यबल में परिवर्तन:** ग्रामीण पुरुष गैर-कृषि रोजगारों की ओर जा रहे हैं, जिससे महिलाएं कृषि में उनका स्थान ले रहे हैं।

- **महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि:**
 - ▲ कृषि में रोजगार एक दशक में 135% बढ़ा।
 - ▲ महिलाएं अब कृषि कार्यबल का 42% हिस्सा हैं।
 - ▲ प्रत्येक तीन कामकाजी महिलाओं में से दो कृषि में संलग्न हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद यह अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि का भाग 2017-18 में 15.3% से घटकर 2024-25 में 14.4% हो गया।



कृषि में महिलाओं को आने वाली चुनौतियाँ

- **अवैतनिक श्रम:** कृषि में लगभग आधी महिलाएं अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं, जिनकी संख्या केवल आठ वर्षों में 2.5 गुना बढ़कर 23.6 मिलियन से 59.1 मिलियन हो गई।
 - ▲ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 80% से अधिक महिला श्रमिक कृषि में हैं, और उनमें से आधे से अधिक को कोई मजदूरी नहीं मिलती।
- **प्रणालीगत असमानताएं:** महिला किसान केवल 13-14% भूमि जोत की मालिक हैं, और समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में 20-30% कम कमाती हैं।
 - ▲ संपत्ति का स्वामित्व, निर्णय लेने की शक्ति, और ऋण व सरकारी सहायता तक पहुंच पुरुष-प्रधान बनी हुई है, जिससे महिलाएं कम मूल्य वाले कार्यों में फंसी रहती हैं।

- **डिजिटल अंतर:** डिजिटल साक्षरता, भाषा, और उपकरणों की वहन क्षमता में बाधाएं आधुनिक कृषि बाजारों में भागीदारी को सीमित करती हैं।

उभरते अवसर

- **वैश्विक व्यापार:** भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में भारतीय कृषि निर्यात में 20% वृद्धि का अनुमान है, जिससे 95% से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
 - ▲ इन निर्यात-उन्मुख मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है।
 - ▲ यदि FTA में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, ऋण पहुंच, और बाजार संपर्क जैसी प्रावधानों को सक्रिय किया जाए, तो यह महिलाओं को खेत मजदूरों से आय-सृजन करने वाली उद्यमियों में बदलने में सहायता कर सकता है।

- **उच्च-मूल्य वाले क्षेत्र:** जैविक उत्पादों और सुपरफूड्स की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ, भारत की चाय, मसाले, मोटे अनाज और प्रमाणित जैविक उत्पादों की मूल्य श्रृंखलाएं विस्तार के लिए तैयार हैं — ऐसे क्षेत्र जहां महिलाएं पहले से ही मजबूत रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भौगोलिक संकेत (GI), ब्रांडिंग पहल, और निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए सहायता महिलाओं को जीविका आधारित खेती से प्रीमियम, मूल्य-वर्धित उत्पाद बाजारों की ओर स्थानांतरित करने में सहायता कर सकती है।

महिलाओं के लिए सरकारी पहलें

- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत, महिलाओं को सतत कृषि, पशुपालन और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTEF) में समर्थन।
- **संयुक्त भूमि अधिकार:** राज्यों को पति-पत्नी के संयुक्त नाम में भूमि पट्टे जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):** महिला किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने का प्रावधान।
- **ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) और उत्पादक संगठन (FPOs):** NABARD और DAY-NRLM के माध्यम से समर्थन।
- **एग्री-क्लिनक्स और एग्री-बिजनेस सेंटर (ACABC):** महिला कृषि उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान।
- **मातृत्व लाभ और स्वास्थ्य योजनाएं:** महिला किसानों के कल्याण को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन।
- **महिला FPOs के लिए समर्थन:** 10,000 FPOs योजना (2020) के अंतर्गत महिला-नेतृत्व वाले समूहों के लिए विशेष प्रावधान।
- **GI टैग, ब्रांडिंग और निर्यात सुविधा:** मसाले, चाय, मोटे अनाज, जैविक उत्पादों में महिला उत्पादकों को सहायता।

आगे की राह

- यदि लक्षित उपाय नहीं किए गए, तो महिलाएं भारतीय कृषि में उभरते निर्यात-आधारित अवसरों से वंचित रह सकती हैं।
- कृषि में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए भूमि और श्रम सुधार समान रूप से आवश्यक हैं।
- नीतियों को महिलाओं को स्वतंत्र किसान के रूप में मान्यता देनी चाहिए, संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देकर, जिससे उनकी ऋण, बीमा और संस्थागत सहायता के लिए पात्रता सुदृढ़ होती है।

Source: TH

खेल एक एकीकृत शक्ति है, विशेषाधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) मामले में यह बल देकर कहा कि खेल केवल मनोरंजन की गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि “राष्ट्रीय जीवन” की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख टिप्पणियाँ

- **खेलों के माध्यम से भ्रातृत्व:** टीम खेल व्यक्तियों को जाति, वर्ग, लिंग या भाषाई भेदों को पीछे छोड़कर साझा लक्ष्यों की ओर सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- **सामुदायिक संसाधन के रूप में खेल:** खेल सुविधाओं और अवसरों को समुदाय के ‘भौतिक संसाधन’ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।
- **विशेषाधिकार से बचाव:** खेल अवसंरचना केवल शहरी आर्थिक अभिजात वर्ग के हाथों में सीमित नहीं रहनी चाहिए; खेल आयोजनों और मीडिया अधिकारों से प्राप्त राजस्व समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **राष्ट्रीय जीवन की संस्थाएं:** खेल संस्थाएं राष्ट्रीय जीवन की संस्थाएं हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में ईमानदारी, व्यावसायिकता एवं विनियमन का अधिकार मिलना चाहिए।

भारत की खेल प्रणाली में प्रमुख मुद्दे

- **ग्रामीण-शहरी अंतर:** नीति आयोग के अनुसार, ग्रामीण एथलीटों को प्रायः बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं, योग्य कोचों, प्रतिस्पर्धी मंचों और पोषण व मानसिक समर्थन की पहुंच नहीं मिलती।
 - ▲ वहीं शहरी केंद्रों को निजी निवेश, मीडिया का ध्यान और राष्ट्रीय महासंघों की निकटता का लाभ मिलता है।
- **अवसंरचना और नीति की खामियाँ:** भारत के 3.4 लाख से अधिक स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रावधान उपस्थित हैं।
 - ▲ यह बच्चों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के प्रारंभिक संपर्क से वंचित करता है।
- **खेल संस्कृति की कमी:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके समर्थन के बावजूद, स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का सीमित समावेश है।
- **लिंग और सामाजिक समावेशन:** महिलाएं, दिव्यांग एथलीट और हाशिए पर उपस्थित समुदायों को भागीदारी और पहचान में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - ▲ समावेशी नीतियाँ उपस्थित हैं लेकिन उन्हें सुदृढ़ प्रवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

भारत में खेलों को समर्थन देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम

- **खेलो इंडिया:** युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 2016-17 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम भारत में बुनियादी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और सभी खेलों के लिए एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है।
- **रिटायर्ड स्पोर्ट्सपर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग (RESET) कार्यक्रम:** 2024 में शुरू किया गया, यह सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को स्वयं को नए रूप में स्थापित करने के लिए सशक्त बनाता है।

- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष:** खिलाड़ियों को ₹5 लाख तक की एकमुश्त अनुग्रह सहायता, ₹5,000 मासिक पेंशन, ₹10 लाख तक की चिकित्सा सहायता और प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान लगी चोटों के लिए ₹10 लाख तक का समर्थन प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF):** ये कोष सार्वजनिक निवेश को पूरक करते हैं और अवसंरचना विकास, उच्च क्षमता वाले एथलीटों को समर्थन एवं नवाचार कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे खेल विकास के लिए एक सहयोगात्मक मॉडल बनता है।

आगे की राह

- **बुनियादी निवेश:** स्कूलों में खेल के मैदानों का विस्तार करें और ग्रामीण खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करें ताकि अवसरों का लोकतंत्रीकरण हो सके।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** अवसंरचना और प्रशिक्षण में राज्य निवेश को पूरक करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** खेलों को केवल पदक प्राप्त करने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवनशैली के रूप में बढ़ावा दें, इसके लिए शारीरिक शिक्षा को स्कूलों और समुदायों में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित करें।

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय की विचारधारा संविधान के भ्रातृत्व एवं समानता के मूल्यों और उनके व्यावहारिक संस्थानों जैसे खेलों के माध्यम से साकार होने के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु प्रदान करती है।
- जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करके, न्यायालय ने यह उजागर किया कि खेलों की एकता शक्ति कैसे बढ़ती है, जिससे यह कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक प्रगति के लिए एक साझा राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है।

Source: [TH](#)

भारत के पारंपरिक अनुष्ठान रंगमंच


संदर्भ

- भारत के अनुष्ठानिक रंगमंच जीवंत सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो मिथक, संगीत और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दिव्यता एवं दैनिक जीवन को जोड़ती हैं।

अनुष्ठानिक रंगमंच

- यह प्रदर्शन की एक पारंपरिक विधा है जो पवित्र अनुष्ठानों को अभिनय, संगीत, नृत्य और कथन जैसे नाटकीय तत्वों के साथ जोड़ती है, जो प्रायः धार्मिक त्योहारों एवं सामूहिक स्मृति में निहित होती है।
- ये प्रस्तुतियाँ केवल मनोरंजन नहीं होतीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और निरंतरता की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ होती हैं।
- UNESCO ऐसी परंपराओं को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage - ICH) के रूप में मान्यता देता है और इनके संरक्षण को प्रोत्साहन देता है।
 - ▲ ICH में पारंपरिक और विकसित होती प्रथाएं शामिल होती हैं, जो पीढ़ियों और समुदायों के बीच साझा की जाती हैं।
- UNESCO ICH को पाँच क्षेत्रों में परिभाषित करता है: मौखिक परंपराएं और भाषा, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं तथा अनुष्ठान, प्रकृति और ब्रह्मांड का ज्ञान, एवं पारंपरिक शिल्पकला।

- वर्तमान में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) के 15 तत्वों को UNESCO की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता और वैश्विक मंच प्राप्त हुआ है।



ICH सूची में भारत के अनुष्ठानिक रंगमंच

- UNESCO ने कुटियाट्टम, मुदियेट्टू, रम्मान और रामलीला जैसे अनुष्ठानिक रंगमंच रूपों को अपनी प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया है।
- **कुटियाट्टम:** यह भारत की सबसे पुरानी जीवित रंगमंच परंपराओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 2,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है।
 - ▲ यह केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जो शास्त्रीय नाटक को स्थानीय अनुष्ठानों के साथ जोड़ती है, और गहन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जटिल नेत्र एवं हस्त मुद्राओं का उपयोग करती है।
 - ▲ यह मंदिर रंगमंचों (कुट्टमपलम) में प्रस्तुत किया जाता है, इसकी पवित्र प्रकृति बनी रहती है और इसमें 10-15 वर्षों का कठोर प्रशिक्षण शामिल होता है।
 - ▲ कुटियाट्टम नाटक, संगीत और शैलीबद्ध अभिनय को जोड़ता है, तथा पीढ़ियों में नैतिक एवं सौंदर्य मूल्यों को संरक्षित करता है।
- **मुदियेट्टू:** यह केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य-नाटक है जो देवी काली और राक्षस दारिक के बीच पौराणिक युद्ध को प्रस्तुत करता है, जो प्रत्येक वर्ष फसल के पश्चात मंदिर परिसरों (भगवती कावु) में किया जाता है।
 - ▲ यह पवित्र अनुष्ठानों जैसे कलामेजुथु (अनुष्ठानिक चित्रांकन) और स्तुति में निहित है, और इसमें जातियों के पार सामूहिक ग्राम भागीदारी होती है—मुखौटा निर्माता, कलाकार एवं शिल्पकार—जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है।
 - ▲ नृत्य, संगीत, दृश्य कला और नाटक को मिलाकर मुदियेट्टू एक जीवंत, समुदाय-प्रेरित पवित्र प्रदर्शन है।
- **रम्मान:** रम्मान एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है जो अप्रैल के अंत में उत्तराखंड के सलूर-डुंगरा जुड़वां गांवों में स्थानीय देवता भूमियाल देवता के सम्मान में मनाया जाता है।
- यह जटिल अनुष्ठानों, रामायण के पाठ, गीतों और मुखौटा नृत्यों को प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक जाति और समूह की विशिष्ट भूमिका होती है।

- दस्तावेज किए गए कुछ वाद्य यंत्रों में शामिल हैं: ढोल (एक प्रकार का ड्रम), दमाऊ (छोटा ताल वाद्य), मंजीरा (छोटे हाथ के झांझ), झांझर (बड़े झांझ) और भंकोरा (एक प्रकार का तुरही)।
- **रामलीला:** रामलीला का शाब्दिक अर्थ है “राम का नाटक,” यह रामायण महाकाव्य का नाटकीय पुनःप्रस्तुतीकरण है, जो गीत, कथन, पाठ और संवाद के संयोजन से दृश्य अनुक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है।
 - ▲ परंपरागत रूप से यह उत्तर भारत में शरद ऋतु के दशहरा उत्सव के दौरान मंचित की जाती है, रामलीला अनुष्ठानिक पंचांग का पालन करती है और इसके आकार व अवधि में विविधता होती है।
 - ▲ कुछ प्रसिद्ध रामलीलाएं अयोध्या (भगवान राम का जन्मस्थान), रामनगर, वाराणसी, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना और मधुबनी में मंचित होती हैं।

संगीत नाटक अकादमी की भूमिका

- संगीत नाटक अकादमी, देश में प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 1953 में भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी, जो संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त होती है।
 - ▲ यह संस्था भारत की जीवंत विरासत की संरक्षक के रूप में कार्य करती है, परंपरा को आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ जोड़कर अनुष्ठानिक रंगमंच को जीवंत बनाए रखती है।

Source : [PIB](#)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा 'भारत में अपराध 2023' रिपोर्ट जारी

समाचार में

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा 'भारत में अपराध 2023' रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

मुख्य निष्कर्ष

- **कुल अपराध प्रवृत्तियाँ:** भारत में 62.4 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि है।

- ▲ इनमें से 37.6 लाख अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत और 24.8 लाख विशेष एवं स्थानीय कानूनों (SLL) के अंतर्गत दर्ज किए गए।
- ▲ राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 422.2 से बढ़कर 448.3 हो गई।
- ▲ महानगरीय शहरों में अपराध 10.6% बढ़कर 9.44 लाख मामलों तक पहुँच गया, जिसमें चोरी 44.8% के साथ सबसे अधिक रही, इसके पश्चात लापरवाह ड्राइविंग (9.2%) और सार्वजनिक मार्गों में बाधा (8.1%) रही।
- **अपराध के बदलते स्वरूप:** परंपरागत हिंसक अपराधों जैसे बलात्कार और दहेज मृत्यु में गिरावट देखी गई।
 - ▲ साइबर अपराधों और शहरी अपराधों में वृद्धि हुई, जो सामाजिक, तकनीकी और जीवनशैली में परिवर्तन को दर्शाती है।
 - ▲ साइबर अपराधों में 31.2% की तीव्र वृद्धि हुई, कुल 86,420 मामलों में से लगभग 69% ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित थे।
 - ▲ कर्नाटक ने सबसे अधिक साइबर अपराध मामले दर्ज किए (21,889), इसके पश्चात तेलंगाना (18,236) और उत्तर प्रदेश (10,794) रहे।
- **अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध:** अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 28.8% की वृद्धि हुई, जो 2022 में 10,064 से बढ़कर 2023 में 12,960 हो गए।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 0.4% की मामूली वृद्धि हुई, जिनमें अधिकांश मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (29.8%), अपहरण (19.8%) एवं हमला (18.7%) से संबंधित थे।

सुझाव


- 'भारत में अपराध 2023' रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अपराध के बदलते स्वरूप, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में, त्वरित सुधारों की आवश्यकता है।
- प्रमुख नीति सिफारिशों में शामिल हैं:
 - ▲ साइबर अपराध अवसंरचना को मजबूत करना, डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में निवेश और जन जागरूकता अभियान।

- ▲ रिपोर्टिंग तंत्र को बेहतर बनाना, जिसमें गुमनाम चैनल और पीड़ित सहायता शामिल हो।
- ▲ पुलिस को लैंगिक संवेदनशीलता और बाल-अनुकूल प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण देना।
- इसके अतिरिक्त, अपराध वर्गीकरण को मानकीकृत करने, राष्ट्रीय अपराध विश्लेषण डैशबोर्ड के माध्यम से अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ाने, और साइबर व लैंगिक अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता बताई गई है।

NCRB के बारे में

- **स्थापना:** 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81), और गृह मंत्रालय कार्यबल (1985) की सिफारिशों पर।
- **मूल मंत्रालय:** गृह मंत्रालय (MHA)।
- **कार्य:** अपराध और अपराधियों के डेटा का राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है।
 - ▲ अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) का प्रबंधन करता है।
- तीन प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है:
 - ▲ भारत में अपराध (Crime in India)
 - ▲ आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं (Accidental Deaths & Suicides)
 - ▲ जेल सांख्यिकी (Prison Statistics)

Source : [HT](#)




ई-अपशिष्ट संग्रहण में खामियाँ बनी हुई हैं, जबकि सरकार की नजर अब कीमती धातुओं के पुनर्चक्रण पर है।

संदर्भ

- भारत जब सेमीकंडक्टर फैब्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) तक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आगे बढ़ा रहा है, ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इस प्रगति को बाधित करने की आशंका उत्पन्न कर रहा है।

भारत में ई-अपशिष्ट के बारे में

- ई-अपशिष्ट — त्यागे गए इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण — में तांबा, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, सोना और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) जैसे मूल्यवान पदार्थ होते हैं।
- भारत ने 2022 में अनुमानित 4.17 मिलियन मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न किया, लेकिन इसका केवल एक-तिहाई ही औपचारिक चैनलों के माध्यम से संसाधित किया गया।
 - ▲ यह इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते उपयोग, तीव्रता से अप्रचलन और उपभोक्ता अपग्रेड द्वारा प्रेरित है।



- TRAI के अनुसार, भारत में 93.9 करोड़ से अधिक मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं, लेकिन यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स खपत का केवल लगभग 4% ही है।

संग्रहण और पुनर्चक्रण में अंतराल

- भारतीय सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो 90–95% तक ई-अपशिष्ट को असुरक्षित तरीकों जैसे खुले में जलाना और एसिड लीचिंग के माध्यम से संभालता है।
- **मुख्य चुनौतियाँ:**
 - ▲ औपचारिक संग्रहण (10% से कम) और पुनर्चक्रण दरें कम हैं;
 - ▲ विषैले पदार्थों के संपर्क में आने वाले अनौपचारिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम;
 - ▲ पुनर्प्राप्त सामग्री में ट्रेसबिलिटी की समस्याएं, जिससे यह फिर से अनौपचारिक चैनलों में लीक हो जाती है;
 - ▲ EPR प्रणाली में फर्जी रिपोर्टिंग और कदाचार — जैसे पुनर्चक्रण क्रेडिट का 'पेपर ट्रेडिंग' — ने विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए हैं;
 - ▲ मानकीकृत इन्वेंटरी सिस्टम और थर्ड-पार्टी ऑडिट की कमी।

नीति और उद्योग की प्रतिक्रिया

- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:** ये नियम ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) प्रणाली को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें निर्माताओं, उत्पादकों, पुनर्निर्माताओं एवं पुनर्चक्रणकर्ताओं को CPCB पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
- **प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:**
 - ▲ उल्लंघनों के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति;
 - ▲ सत्यापन और ऑडिट तंत्र;
 - ▲ वैज्ञानिक पुनर्चक्रण के माध्यम से परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

- **औपचारिक पुनर्चक्रण अवसंरचना (फरवरी 2025):** भारत में 322 पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता हैं जिनकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक है।

▲ 92,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले 72 पंजीकृत पुनर्निर्माता हैं।

- **जन जागरूकता और शिक्षा:** MeitY ने MAIT और NASSCOM जैसे उद्योग संगठनों के सहयोग से 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता अभियान शुरू किए हैं।

▲ 'मंडी-शैली' के एकत्रीकरण मॉडल जैसे नवाचारों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि अनौपचारिक संग्राहकों को औपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं से जोड़ा जा सके।

आगे की राह

- औपचारिक संचालन का विस्तार करना;
- EPR प्रणाली में कदाचार को रोकना;
- मरम्मत के माध्यम से उत्पाद जीवन चक्र को बढ़ाना;
- सुदृढ़ इन्वेंटरी सिस्टम बनाना।

[Source: TH](#)

संक्षिप्त समाचार

स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ) पहल

संदर्भ

- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ) पहल की शुरुआत की।

स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ)

- यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत एक संरचित मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्य योजना कार्यक्रम है।
 - ▲ इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर 72 मेंटर शहरों को लगभग 200 मेंटी शहरों के साथ जोड़ा गया है।

- **उद्देश्य:** शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में ज्ञान साझा करना, सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देना, और श्रेष्ठ प्रथाओं की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना।

मुख्य विशेषताएं:

- **मेंटरशिप मॉडल:** उच्च प्रदर्शन करने वाले शहर (मेंटर्स) कम प्रदर्शन करने वाले शहरों (मेंटीज़) को मार्गदर्शन देते हैं।
 - ▲ अनुभव साझा करने, कार्य योजना बनाने और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **समयबद्ध कार्यक्रम:** शहर-से-शहर मेंटरशिप के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए 100-दिवसीय कार्यक्रम।
 - ▲ प्रत्येक मेंटर-मेंटी जोड़ी स्पष्ट माइलस्टोन के साथ कार्य योजनाएं तैयार करती है।
- **राष्ट्रव्यापी भागीदारी:** भाग लेने वाले शहरों में लगभग 300 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें नगर अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति रही।
 - ▲ यह पहल सहयोग के लिए एक गतिशील मंच तैयार करती है, जिसका मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किया जाएगा।

महत्व

- भारत के शहरी अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सबसे बड़े संरचित मेंटरशिप ढांचों में से एक।
- शहरी भारत में सफल स्वच्छता प्रथाओं की पुनरावृत्ति को सक्षम बनाता है, जिससे सतत शहरी परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।

Source: [IE](#)

सहयोग पोर्टल

समाचार में

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल को चुनौती देने वाली X कॉर्प की याचिका खारिज कर दी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत इसकी वैधता को स्वीकार किया।

सहयोग पोर्टल

- यह गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संचालित किया जाता है।
- यह इंटरनेट मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सामग्री हटाने के आदेश जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- यह अधिनियम प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए “सुरक्षित आश्रय” सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह छूट सशर्त होती है—मध्यस्थों को धारा 79(3)(b) के अंतर्गत आधिकारिक सूचना प्राप्त होने पर अवैध सामग्री को हटाना आवश्यक होता है।
- सहयोग इस प्रक्रिया को स्वचालित करता है और इसे प्रथम बार एक लापता व्यक्ति से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले के दौरान उजागर किया गया था।

Source : [TH](#)

अद्यतन रंगराजन गरीबी रेखा अनुमान

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अर्थशास्त्रियों ने 2014 में रंगराजन समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को भारत के 20 प्रमुख राज्यों के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के आधार पर अद्यतन किया है।

गरीबी रेखा क्या है?

- गरीबी रेखा आय या उपभोग का एक ऐसा सीमा स्तर है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या परिवार गरीब है या नहीं।
- जो कोई भी इस सीमा से नीचे जीवन यापन करता है, उसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ माना जाता है।
- यह सरकार को सहायता करती है:
 - ▲ गरीबी की सीमा को समझने और गरीबों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाने में।

- ▲ यह जानने में कि समय के साथ कोई नीति वास्तव में गरीबी को कम करने और जीवन स्तर सुधारने में सफल रही है या नहीं।

रंगराजन समिति (2014)

- इसका गठन 2012 में हुआ था और इसने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपभोग टोकरी की सिफारिश की थी।
 - ▲ रंगराजन समिति ने ग्रामीण गरीबी रेखा ₹972 प्रति माह (₹32 प्रतिदिन) निर्धारित की। शहरी गरीबी रेखा ₹1,407 प्रति माह (₹47 प्रतिदिन) निर्धारित की गई।
- इन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में भारत की 29.5 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब माना गया।
- सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए गरीबी का आकलन अभी भी तेंदुलकर गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है।

नवीनतम अद्यतन के प्रमुख निष्कर्ष

- ओडिशा और बिहार ने विगत दशक में सबसे अधिक सुधार किया है।
 - ▲ ओडिशा: ग्रामीण गरीबी 47.8% से घटकर 8.6% हो गई।
 - ▲ बिहार: शहरी गरीबी 50.8% से घटकर 9.1% हो गई।
- सबसे कम ग्रामीण गरीबी (2022-23): हिमाचल प्रदेश (0.4%)।
- सबसे कम शहरी गरीबी (2022-23): तमिलनाडु (1.9%)।
- सबसे अधिक गरीबी: छत्तीसगढ़ (ग्रामीण 25.1%, शहरी 13.3%)।

Source: [IE](#)

Ways and Means Advances (WMA)

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के लिए WMA की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की है।

WMA

- WMA एक अस्थायी अग्रिम है जो RBI द्वारा केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी प्राप्ति एवं भुगतानों में अस्थायी अंतर को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।
- यह सीमा केंद्र सरकार से परामर्श के बाद तय की गई है।

Source : [Air](#)

सोडार(SODAR) प्रणाली

संदर्भ

- CSIR के स्थापना दिवस (26 सितंबर) के अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में SODAR (साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग) प्रणाली की सुविधा का उद्घाटन किया गया।

परिचय

- यह प्रणाली CSIR-एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (AMPRI), भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है।
- हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) विभिन्न स्थानों पर SODAR प्रणाली के डेटा को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उपयोग पूर्वानुमान, सत्यापन और अनुसंधान पहलों के लिए किया जाएगा।
- यह मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन को आगे बढ़ाने और अनुसंधान समुदायों व राष्ट्रीय तैयारी को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा रखता है।

साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग (SODAR)

- **उद्देश्य:** निचले वायुमंडल (लगभग 1 किमी तक) की जांच करना ताकि तापीय संरचना, अशांति, इनवर्जन परतें, कोहरा और धुएं का अध्ययन किया जा सके।
 - ▲ यह वायु गुणवत्ता मॉडलिंग, पूर्वानुमान और मौसम संबंधी डेटा की व्याख्या में उपयोगी है।
- **कार्य सिद्धांत:** ध्वनिक पल्स एक एंटीना के माध्यम से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रसारित किए जाते हैं।
 - ▲ ये पल्स तापीय असमानताओं और वायु के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और बिखर जाते हैं।
 - ▲ बिखरे हुए पल्स उसी एंटीना द्वारा प्राप्त किए जाते हैं (मोनोस्टैटिक प्रणाली में)।

- ▲ सिमल को बढ़ाया जाता है, संसाधित किया जाता है और इकोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- **अनुप्रयोग:**
 - ▲ **मौसम विज्ञान:** वायु, तापमान और अशांति की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल को मापना।
 - ▲ **वायु प्रदूषण निगरानी:** यह अध्ययन करना कि प्रदूषक वायुमंडल में कैसे फैलते हैं।
 - ▲ **नवीकरणीय ऊर्जा:** पवन टरबाइन की स्थापना के लिए वायु की प्रोफाइल का मूल्यांकन करना।
 - ▲ **जलवायु अनुसंधान:** सीमा परत की गतिशीलता का अध्ययन करना।

Source: [IE](#)

लाल सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस)

संदर्भ

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस) के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड को ₹82 लाख की राशि स्वीकृत की है।
- ▲ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

परिचय

- रेड सैंडर्स दक्षिणी पूर्वी घाट की मूल प्रजाति है, जो मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है।
- पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में, सौंदर्य प्रसाधनों और औषधीय उत्पादों के साथ-साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प और संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए इनकी मांग बहुत अधिक है।
- यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजाति है, जिसे परिपक्व होने में 25-40 वर्ष लगते हैं, जिससे अत्यधिक दोहन के बाद पुनर्प्राप्ति कठिन हो जाती है।

संरक्षण स्थिति:

- ▲ यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त सूची' में शामिल है।
- ▲ यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध है।
- ▲ यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध है।

Source: [PIB](#)

